

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

मीटिंग समस्त उपनिदेशक, जिशिअ
माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
दिनांक 28.12.2017

www.rajteachers.com

प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन आहरण पदेन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी स्तर से किये जाने हेतु नवीन व्यवस्था को लागू करना

शासन का पत्रांक प.15(1) / प्राशि / 2017 पार्ट-2
जयपुर दिनांक 07.12.2017

www.rajteachers.com

सेवा अभिलेखों को पूर्ण कर पी.ई.ई.ओ. को सौंपना

शासन के संदर्भित पत्र के बिन्दु सं. 1.1 व 1.2 में वर्णित वर्ग के शिक्षकों / शैक्षिक कार्मिकों के सेवा अभिलेख व गत भुगतान प्रमाण-पत्र तैयार कर 25.12.2017 तक सौंपे जाने थे ।

यदि उक्त काय सम्पादित नहीं हुआ है तो अब अनिवाय रूप से दिनांक 29.12.2017 तक पूर्ण किया जावे और पे-मैनेजर पर आई.डी. स्थानांतरित की जावे ।

पे-मैनेजर पर कर्मचारियों का मदवार अपडेशन

संभवत उक्त कायवाही पी.ई.ई.ओ. कार्यालयों को संबधित लेखा शीर्ष में बजट आवंटन के पश्चात की जा सकेगी ।

अतः बजट आवंटन के पश्चात आगामी दो दिवस में उक्त कायवाही पूर्ण कर ली जावे ।

बकाया वेतन / एरियर राशि का आहरण

वर्ष 2012 की भर्ती में नियुक्त शिक्षकों के वेतन स्थिरीकरण एरियर राशि पूर्व में 20.12.2017 एवं तत्पश्चात् 25.12.2017 तक आहरित किय जाने के निर्देश दिय गय थे ।

यदि उक्त कायवाही बकाया है तो दिनांक 29.12.2017 तक पूर्ण की जावे । इसके पश्चात् बी.ई.ई.ओ. को संबधित लेखा शीर्ष में आवंटित राशि प्रत्याहरित कर ली जावेगी ।

वेतन बिलों की तैयारी व अग्रेषण

पी.ई.ई.ओ. को आहरण-वितरण शक्तियों के आदेश होने के लगभग 5 दिवस में निदेशालय स्तर से स्वीकृति की व्यवस्था के अनुरूप बजट आवंटन पूर्ण कर लिया जावेगा।

आगामी दो दिवस में पी.ई.ई.ओ. स्तर से समस्त बिलों की तैयारी की जाकर शासन के संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार कोष कार्यालय (बिन्दु सं.1.1 में उल्लेखित कर्मचारियों के) तथा संबन्धित ब्लॉक कार्यालय (बिन्दु सं.1.2 में उल्लेखित कर्मचारियों के लिये) को यथोचित रूप में अग्रेषित किये जावेंगे।

पूर्ववत व्यवस्था में रखे गये कार्मिकों का वेतन आहरण

शासन के संदर्भित पत्र के बिन्दु सं. 1.4 तथा 2.0 में उल्लेखित कर्मचारियों का वेतन/मानदेय व अन्य भत्तों का बी.ई.ई.ओ. कार्यालय द्वारा पूर्ववत समय पर आहरण किया जावे।

पी.ई.ई.ओ. के बारे में उपनिदेशक कार्यालय से चाही गई सूचना

निदेशालय के पत्रांक 23 दिनांक 20.12.2017 निर्धारित प्रपत्र में सूचना 2 दिवस में चाही गई थी जो कि बजट आवंटन काय हेतु अपरिहाय है। सूचना अप्राप्त है।

उक्त सूचना दिनांक 29.12.2017 तक मण्डल स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन किय एक्सेल शीट पर पूर्ण रूप से अंग्रेजी फॉण्ट में तैयार कर बजट अनुभाग की ईमेल – budgetele.edu@gmail.com पर प्रेषित की जावें। www.rajteachers.com

शाला दर्शन पोर्टल पर पी.ई.ई.ओ. वाइज लेखामद वार स्वीकृत तथा कार्यरत पदों को दर्शाना

शाला दर्शन अनुभाग को पोर्टल पर उक्तानुसार समावेशन दिनांक 21.12.2017 तक कराने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज दिनांक तक नहीं हुआ है।

अनुभाग अधिकारी शाला दर्शन उक्त कायवाही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिनांक 29.12.2017 तक पूर्ण करावें। उक्त सूचना वेतन आहरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर बैठक

उक्त सभी बिन्दुओं पर सभी बी.ई.ई.ओ. एवं सभी पी.ई.ई.ओ. के साथ व्यापक चर्चा करने हेतु दिनांक 30.12.2017 को सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में बैठक आहुत की जावेँ और नवीन व्यवस्था को समयबद्ध रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उक्त बैठक एवं नवीन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु सक्रिय प्रबोधन तथा अनुश्रवण करेंगे तथा दिनांक 02.01.2018 को, तब तक की प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को सुपुर्द करेंगे।

धन्यवाद

www.rajteachers.com